भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से संकटग्रस्त किसान

2301. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र के कई जिलों के किसानों को अत्यधिक और बेमौसम वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर फसलों को हुए नुकसान के कारण भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है यदि हां, तो क्या ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि बैंक प्रभावित किसानों पर ऋण अदायगी के लिए दबाव डाल रहे हैं जिससे उनकी मानसिक और वित्तीय कठिनाई बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में हाल ही में हुई वर्षा से प्रभावित किसानों के लिए वसूली कार्यवाहियों को अस्थायी रूप से स्थगित करने, पुनर्भुगतान की समय-सारणी में विलंब करने या ऋण स्थगन अवधि प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य ऋणदात्री संस्थाओं को निर्देश या परामर्शी दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त राज्य के वर्षा प्रभावित किसानों को मुआवजा, पुनः बुआई में सहायता, ब्याज सहायता, फसल संबंधी ऋणों की पुनर्संरचना या किसी विशेष पैकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है ताकि उन्हें आगामी फसल मौसम की तैयारी करने में मदद मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उपायों से होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी), महाराष्ट्र द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अत्यधिक और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों पर बैंकों द्वारा ऋणों की चुकौती के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया है।

(ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर 17 अक्टूबर, 2018 को मास्टर निदेश जारी किए हैं, जो *अन्य बातों के साथ-साथ,* राज्य/केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आस्ति वर्गीकरण में कोई कमी (डाउनग्रेड) किए बिना ऋणों को पुनर्गठित करते हैं और नए ऋणों की मंजूरी प्रदान करते हैं। इस संबंध में एसएलबीसी, महाराष्ट्र द्वारा सूचित किए गए अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 26.11.2025 के पत्र के माध्यम से राज्य में प्राकृतिक आपदा घोषित की है और राज्य

में बैंकों को एसएलबीसी द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ): राज्य में प्राकृतिक आपदा की घोषणा के बारे में महाराष्ट्र सरकार से दिनांक 26.11.2025 को सूचना प्राप्त होने पर, एसएलबीसी, महाराष्ट्र ने अपने सभी सदस्य बैंकों को पात्र फसल ऋणों की पुनर्गठित करने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्षा प्रभावित किसानों से ऋण वसूली को स्थगित करने के लिए कहा है। एसएलबीसी, महाराष्ट्र द्वारा सदस्य बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के लिए 26,658.77 करोड़ रुपये की राशि के 17.29 लाख पात्र खातों की पहचान की गई है।

इसके अलावा, संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) दिशा-निर्देशों के पैरा 2(v) में यह प्रावधान है कि इस वर्ष के लिए लागू ब्याज सहायता की दर पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

*****